कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

Email - mdjubilaspur@gmail.com, Phone - (07752) 413765, Address - Bhakt Kanvar Ram Gate, Bilaspur

क्रमांक/जि.यू.बि./समिति स्था./2026/ 1296 बिलासपुर, दिनांक 25/05/2026

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, संवाद भवन
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
Email-cgsamvadelemedia@gmail.gov.in

विषय :- विज्ञापन प्रकाशन करवाने बावत ।

----00----

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.) के अधिनस्थ प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित मझगंवा तहसील कोटा, जनपद पंचायत कोटा, पुलिस चौकी बेलगहना, थाना कोटा, जिला बिलासपुर में प्रबंधक का एकल पद (01 पद) रिक्त है । जिसके लिए स्थानीय तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन आमंत्रित किया जाना है ।

विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है । कृपया विज्ञापन राज्य स्तर पर प्रकाशित लोकप्रिय समाचार पत्र में जिला बिलासपुर संस्करण में 01 बार प्रकाशित करने का कष्ट करें । समाचार प्रकाशन का प्रमाण स्वरूप प्रकाशित समाचार की प्रति एवं देयक भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

संलग्नः- विज्ञापन का प्रारूप

वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/जि.यू.बि./समिति स्था./2026/ 1297 बिलासपुर, दिनांक 25/05/2026

प्रतिलिपिः-

1. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, वन धन भवन सेक्टर-24 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ कर निवेदन है कि प्रबंधक भर्ती विज्ञापन प्रारूप एवं निर्धारित अर्हताएं तथा चयन प्रक्रिया का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के बेवसाईड में Upload करने का कष्ट करेंगें ।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, बिलासपुर वनवृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संलग्न विज्ञापन को कलेक्टर जिला बिलासपुर के बेवसाईट में Upload करने करने का कष्ट करें ।

वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)
Email - mdjubilaspur@gmail.com, Phone - (07752) 413765, Address - Bhakt Kanvar Ram Gate, Bilaspur

--:: विज्ञापन ::--

जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर के अन्तर्गत प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित **मझगवां** जनपद पंचायत कोटा, पुलिस चौकी बेलगहना, जिला बिलासपुर में प्रबंधक पद के रिक्त पद पर भर्ती करने के लिये उम्मीदवारों से दिनांक 28.05.2026 से 20.06.2026 समय 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रबधं संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर के नाम से सम्बोधित हो, सीधे जिला यूनियन बिलासपुर में रजिस्टर ए.डी./स्पीड पोस्ट से भेजा जावे । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होगा ।

क्र.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित वर्ग	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले तेन्दूपत्ता फड़/गांव का नाम जहां के निवासी से आवेदन प्राप्त होना है	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है
1	मझगवां	प्रबधंक	01	अनारक्षित	**मझगवां, लुसदा, बरगवां, केन्दाडाड़, नेवारीबहरा**	प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

1/ आवेदन कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.06.2026 शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा ।

2/ पोस्ट/डाक कार्यालय द्वारा आवेदन विलम्ब से प्रेषित करने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा ।

3/ आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, चयन प्रक्रिया तथा वेतन भत्ते संबंधी जानकारी जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर के नोटिस बोर्ड/प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित मझगवां कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

4/ भर्ती संबंधी प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ वन धन भवन सेक्टर-24 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के बेवसाईट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर बिलासपुर के बेवसाईट www.collecctor-bilaspur@cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

> आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करावें

प्रति,

प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
बिलासपुर, वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदित पद का नामः- **प्रबंधक, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित मझगवां**

1- आवेदक का पूरा नाम :- -

2- आवेदक के पिता/पति का नाम :- -

3- जाति (अ.ज.जा./ज.जा./पि.व./सामान्य) :- -
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण :- -
पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

4- आवेदक का जन्मतिथि :- -

5- दिनांक 01.05.2026 को आयु :- -

6- स्थाई निवास का पता :- -
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण :- -
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) -- -

7- पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :- -
-- -
-- -

8- शैक्षणिक योग्यताः-

क्र.	**कक्षा का विवरण**	**बोर्ड/वि.वि.का नाम**	**उत्तीर्ण वर्ष**	**पूर्णांक**	**प्राप्तांक**	**प्रतिशत**
1	कक्षा 10 वीं					
2	कक्षा 12 वीं.					
3	स्नातक					
4	कम्प्यूटर (डिग्री/डिप्लोमा)					

(प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9- विगत पांच वर्षो में से 03 वर्षो में 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड का विवरणः-

क्र.	**तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष**	**फड़ का नाम**	**कार्ड क्रमांक**	**कार्ड में दर्शित संग्रहित मात्रा**
1				
2				
3				

(फड़मुंशी द्वारा जारी तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड प्रबंधक एवं पोषक अधिकारी द्वारा सत्यापित)

10-	तेन्दूपत्ता सदस्यता क्रमांक एवं वर्ष (सदस्यता रजिस्टर की छायाप्रति संबंधित समिति प्रबंधक से प्राप्त कर संलग्न करें)	:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-	आवेदक का आधार नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12-	रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13-	क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम मण्डल में सेवारत हैं/थे ! (यदि हैं तो पूर्ण विवरण सहित कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14-	क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ! हां/नहीं यदि हां तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ।	:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15-	क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण है यदि है तो धारा/नियम/अधिनियम का उल्लेख करें !	:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

संलग्न सहपत्रों की सूची:-

1- कक्षा 10वीं. एवं 12वी. का सत्यापित अंकसूची
2- स्नातक उत्तीर्ण का सत्यापित अंकसूची
3- कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री का सत्यापित अंकसूची
4- निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
5- जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
6- 03 वर्ष का संग्रहण कार्ड की प्रबंधक/पोषक अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति
7- आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
8- अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
9- अन्य योग्यता प्रमाण पत्र (कोई हो तो)

आवेदक/आवेदिका

हस्ताक्षर -----------------------
नाम -----------------------
मो.नं. -----------------------

// घोषणा - पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है । यदि उपरोक्त जानकारी का कोई भी अंश असत्य पाया जाता है, तो नियुक्ति के समय अथवा नियुक्ति पश्चात किसी भी समय विभाग द्वारा मेरी सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी ।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम

कार्यकारी संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर का आदेश क्रमांक/वनो./पंजी./सह./2016/01 दिनांक 19.05.2016

अध्याय - 02 भर्ती

नियम - 03 नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता :-

प्रबंधक पद के लिये निर्धारित योग्यताएं निम्नानुसार होंगीः-

(i)- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी ।

(ii)- अभ्यर्थी का, संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा ।

(iii)- यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व के 05 वर्ष में से (वर्ष 2021 से 2025 तक) कम से कम 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया हो एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड में अभ्यर्थी का नाम अंकित हो ।

(iv)- छत्तीसगढ़ शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का 01 वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री होना आवश्यक होगा ।

नियम - 04 आयु सीमा :-

चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पूरी करनी होगी, अर्थातः-

(i)- 01.05.2026 को आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

(ii)- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गो (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(iii)- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(iv)- छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा/अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी ।

(v) उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गो के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

नियम - 05 अन्य अर्हतायें :-

(i) मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हों ।

(ii) अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो ।

(iii) छ.ग.सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी संचालक का परिभाषित संबंधी न हो ।

नियम - 06 चयन प्रक्रिया :-

(i) नियम 3 (अ) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जिला यूनियन द्वारा रिक्त पद की सूचना प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में प्रत्येक गांव में डोंडी पिटवाकर तथा संस्था कार्यालय, कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत, जिला यूनियन, सहकारिता विभाग, तहसील कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित की जाकर पावती प्राप्त की जाएगी ।

(ii) क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसारित एक समाचार पत्र में एवं प्रदेश के एक सर्वाधिक प्रसारित राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन संबंधित जिला यूनियन द्वारा दिया जाएगा ।

(iii) प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक निर्धारित किये जाते हैं, जो अभ्यर्थी के योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें ।

(क) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक प्राप्त किये जायेगें (अधिकतम 100 अंक) (उदाहरणार्थ - यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.5 प्रतिशत प्राप्त हुए हैं तो उसे 75.5 अंक दिये जावेगें)

(ख) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको के अनुपात में 1/5 अंक दिये जावेगें । (अधिकतम-20 अंक) (उदाहरणार्थ - 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेगें ।

(ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 05 अंक दिये जायेगें । सर्टिफिकेट/डिप्लोमा हेतु 03 अंक एवं उच्चतर डिग्री हेतु 05 अंक दिये जायेगें ।

(iv) नियम 6(iii) के अन्तर्गत जिला यूनियन द्वारा उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी । प्रावीण्य सूची में यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को बराकर अंक प्राप्त है तो आयु में वरिष्ठता के आधार उम्मीदवार को वरिष्ठता प्रदान की जावेगी । इस प्रकार तैयार की गई प्राविण्य को चयन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । जिस पर कमेटी द्वारा चयन का निर्णय लिया जावेगा ।

चयन कमेटी के सदस्य निम्नानुसार होगें:-

(1)	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन बिलासपुर	- अध्यक्ष
(2)	उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन बिलासपुर	- सदस्य
(3)	संबंधित संस्था का अध्यक्ष (मझगंवा समिति)	- सदस्य

(v) प्रबंधक की नियुक्ति आदेश अध्यक्ष प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।

<u>नियम - 07 नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-</u>

(i) कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबधंक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा ।

(ii) चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदण्डों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा ।

(iii) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को, प्रत्याभूति के रूप में रू.10000/- (रू.दस हजार) नगद अथवा सावधि जमा अथवा साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा ।

(iv) चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा । तत्पश्चात उन्हें निरंतर माना जावेगा ।

नियम - 08 वेतन :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ शासन एवं संघ द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा ।

नियम - 09 यात्रा भत्ता :-

प्रबधंकों को संघ द्वारा स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा ।

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

अध्याय - 03 प्रबंधकों के कर्तव्य एवं दायित्व

नियम - 10 प्रबंधक के कर्तव्य :-

1- प्रबंधक, संस्था के संचालक मण्डल के अधीनस्थ एवं उसके निर्देशन में सभी कार्य करेगा ।

2- संस्था के कार्य प्रशासन का उत्तरदायित्व वहन करना, संचालक मण्डल के निर्देशानुसार वार्षिक आमसभा एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार संचालक मण्डल की बैठक बुलाना, उसमें उपस्थित रहना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही संबंधित पुस्तक में अंकित करना एवं हस्ताक्षर कराना/करना ।

3- संचालक मण्डल में वन विभाग द्वारा नामांकित पोषक अधिकारी तथा संस्था के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा पोषक अधिकारी और संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित अधिकारी/प्रबधंक के संयुक्त हस्ताक्षर से संघ की राशि खाते से निकालना/राशि वसूल करना व आवश्यक खर्च करना, परन्तु संस्था की स्वयं की पूंजी के खाते से आहरण हेतु संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकालना व आवश्यक खर्च करना ।

4- संस्था को सम्बोधित सभी पत्र व्यवहार प्राप्त करना एवं संस्था कीर ओर से उत्तर देना एवं विशिष्ट विषयों पर संचालक मण्डल का ध्यान आकृष्ट करना ।

5- संस्था के लिए सभी रसीदें, प्रमाणक, मासिक लेखा, वार्षिक प्रतिवेदन, स्थिति विवरण पत्रक तैयार करना एवं समयावधि में सहकारिता विभाग, जिला यूनियन एवं बैंकों को आवश्यक जानकारी एवं लेखा उपलब्ध करना ।

6- संस्था के सामान्य प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार करना, सदस्यों को सभी आवश्यक जानकारी उपलबध कराना एवं विशिष्ट मामलों पर अध्यक्ष की अनुमति से पत्र व्यवहार करना ।

7- अंकेक्षण प्रतिवेदन बिना विलम्ब के संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन में वर्णित त्रुटियों का त्वरित निराकरण करना एवं संचालक मण्डल से अनुमोदित कराकर एक माह के उसे अंकेक्षक/जिला युनियन/पंजीयक को प्रस्तुत करना ।

8- संस्था के अन्य कर्मचारियों यदि कोई है तो, को मार्गदर्शन देना, उनके कार्य पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना । संचालक मण्डल को उनके कार्यो की जानकारी देना एवं संचालक मण्डल की सहमति से उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना ।

9- संस्था की रोकड़ पुस्तक एवं अन्य लेखा पुस्तकों/कार्यवाही किताबों को नियमित रूप से लिखना या लिखवाना तथा उनका पर्यवेक्षण करना एवं हस्ताक्षर करना ।

10- संस्था के लिए राशि प्राप्त करना एवं राशि प्राप्त कर रसीद देना एवं संस्था के कार्य हेतु एक समय में रू.1000/- तक व्यय करना ।

11- संस्था के दैनंदिनी कार्य एवं व्यवसाय का प्रबंध तथा सामान्य संचालन करना एवं पर्यवेक्षण करना ।

12- निर्धारित सीमा से अधिक रोकड़ होने पर उसे बैंक में जमा करना ।

13- संस्था की राशि वसूली हेतु संचालक मण्डल की सहमति से वैधानिक प्रकरण तैयार करना ।

14- प्रबंधक की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधक के कार्य हेतु अधिकृत कर सकता है ।

15- संबंधित जिला युनियन एवं संघ द्वारा समय समय पर सौंपे गये समस्त कार्यो का सम्पादन करना ।

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी युनियन मर्यादित
बिलासपुर (छ.ग.)